

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 15089 / 22 / वि-9 / आर.जी.एम. / 97

भोपाल, दिनांक 17.9.97

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त),
मध्यप्रदेश
2. कार्यपालक निदेशक (समस्त),
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
मध्यप्रदेश

विषय : राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन कार्यक्रम में सूचना का अधिकार।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत सम्पादित कार्यो में पारदर्शिता लाने एवं सूचना के अधिकार को लागू करने के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. ग्राम स्तर पर वाटरशेड कमेटी द्वारा सम्पन्न समस्त उपचार कार्यो में हुये व्यय की जानकारी ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। आय-व्यय की जानकारी ग्राम सभा में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से वाटरशेड कमेटी के सचिव एवं अध्यक्ष की होगी। ग्राम सभा की आयोजित बैठकों में प्रत्येक ग्रामवासी को जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त वाटरशेड कमेटी प्रपत्रा 'एक' में दर्शाये रजिस्टर/प्रपत्रा/योजना से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर दस्तावेज के लिये निर्धारित कीमत जमा करने पर उपलब्ध करावेगी।
2. परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा प्रपत्रा 'दो' में दर्शाये अनुसार जानकारी भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।
3. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रपत्रा 'तीन' में दर्शाये अनुसार जानकारी भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।

कृपया वाटरशेड कार्यक्रम में सूचना के अधिकार की व्यवस्था लागू की जाना सुनिश्चित करें तथा भुगतान प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर संबंधित जानकारी उपलब्ध करावें।

प्रपत्रा- 'तीन'

**जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन
मिशन
कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना का अधिकार**

स.क्र. दर	विवरण	दस्तावेज प्रदान करने की समय सीमा	प्रतिपेज
1.	मिलीवाटरशेड की कार्ययोजना प्रतिपेज	परियोजना अवधि	रु. 2.00
2.	जिला स्तरीय सलाहकार समिति की प्रतिपेज बैठक की कार्यवाही विवरण	जारी होने के दिनांक से तीन माह की अवधि तक	रु. 2.00
3.	जिला स्तरीय तकनीकी समिति की प्रतिपेज बैठक की कार्यवाही विवरण	जारी होने के दिनांक से तीन माह की अवधि तक	रु. 2.00
4.	स्वीकृत कार्ययोजना की प्रति रु. 2.00 प्रतिपेज	परियोजना अवधि	
5.	समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण प्रतिपेज	विवरण जारी होने के दिनांक से तीन माह की अवधि तक	रु. 2.00
6.	पिछली जारी त्रैमासिक भौतिक/ प्रतिपेज वित्तीय प्रगति	जारी होने के दिनांक से छः माह तक	रु. 2.00

नोट : सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रति भुगतान प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जावेगी।

प्रपत्रा-‘एक’

ग्राम स्तर पर राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन
कार्यक्रम में सूचना का अधिकारी

स.क्र.	विवरण	दस्तावेज प्रदान करने की	
	प्रतिपेज दर	समय सीमा	
1.	मस्टर रोल 00 प्रतिपेज	भुगतान तिथि से तीन माह तक	रु. 20.
2.	प्राक्कलन प्रतिपेज	परियोजना अवधि	रु. 2.00
3.	माइक्रोवाटरशेड / ग्राम की कार्ययोजना	परियोजना अवधि	रु. 2.00 प्रतिपेज
4.	वाटरशेड कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण	बैठक की तिथि से तीन माह तक	रु. 2.00 प्रतिपेज
5.	योगदान रजिस्टर	परियोजना अवधि	रु. 2.00 प्रतिपेज
6.	व्हाउचर प्रति व्हाउचर	भुगतान तिथि से तीन माह की अवधि तक	रु. 2.00

प्रपत्रा दो

परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन
कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना का अधिकार

स.क्र.	विवरण	दस्तावेज प्रदान करने की	प्रतिपेज दर
--------	-------	-------------------------	-------------

समय सीमा

1.	मिलीवाटरशेड की कार्ययोजना	परियोजना अवधि	रु. 2.00 प्रतिपेज
2.	मस्टर रोल 00 प्रतिपेज	भुगतान तिथि से तीन माह तक	रु. 20.
3.	प्राक्कलन प्रतिपेज	परियोजना अवधि	रु. 2.00
4.	व्हाउचर प्रति व्हाउचर	भुगतान तिथि से तीन माह की अवधि तक	रु. 2.00

जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन की गतिविधियों के सुधार के लिये समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला में सम्मिलित किये जाने वाले सम्भावित बिन्दु

- 1⁰ वातावरण निर्माण के लिये किये प्रयास एवं उनका ग्रामीणों पर प्रभाव एवं उनमें कार्यक्रम के प्रति समझ एवं जागरुकता का स्तर। वातावरण निर्माण का उद्देश्य ग्रामीणों को कार्यक्रम के प्रशासनिक, तकनीकी एवं सामाजिक पक्ष से अवगत कराते हुये उनके दायित्वों, अधिकारों एवं जिम्मेदारी से परिचित कराना है। यदि अपनाई रणनीति लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं रही है